अल्प कालीन निविदा सूचना

मेला मखदूमपुर 2019 (कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान) के कार्यो हेतु क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 (यथासंशोधित) के प्राविधानों एव शासनादेश सं0 05/2019/2902/33–2–2019–198जी/2018 दिनांक 16 अगस्त, 2019 के क्रम में समस्त विभाग के ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि मेला व्यवस्थाओं के लिए जिलानिधि से कार्यो की निविदा दिनांक 15.10.2019 को दोपहर 1.30 बजे तक विक्रय की जायेगी तथा उसी दिन दोपहर 3.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती हैं, जो उसी दिन दोपहर 4.00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी। प्रत्येक निविदा पर 2 प्रतिशत धरोहर राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 के रूप में जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ के पदनाम से बन्धक हो, निविदा के साथ संलग्न करनी होगी एवं निविदा मूल्य जी0एस0टी0 सहित जिला पंचायत कार्यालय अथवा जिलानिधि के सिडिकेट बैंक कचहरी शाखा मेरठ के खाता सं0 **88372200058745** में जमा कर सकते है। निर्माण कार्यो का विस्तृत विवरण व शर्ते व टेन्डर फार्म जनपद की वैबसाईट http//meerut.nic.in से डाउन लोड कर निकाला जा सकता तथा नियमानुसार निविदा अपलोड की जा सकती है। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्ति तक प्रत्येक चरण का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर ठेकेदार का भुगतान रोक दिया जायेगा। कार्यो का विवरण निम्नवत है –

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में) जी0एस0टी0 रहित	2%धरोहर राशि (हजार में)	निविदा मूल्य जी0एस0टी0 सहित	समयावधि
1	टाटपूला सडक, दागवैल दरेसी व ढाल उतराई घाट कटाई निर्माण कार्य	782540	15651	708	मेला अवधि
2	टैन्ट ,फर्नीचर आपूर्ति किराये पर कार्य	666625	13333	708	"
3	पी0डब्लू0डी0 रोड हस्तिनापुर से मेन गेट मेला व मेन गेटा मेला से घाट, मार्किट की ओर प्रकाश व्यवस्था किराये पर कार्य	489968	9799	472	"
4	पी0डब्लू0डी0 रोड हस्तिनापुर से मेला मखदूमपुर तक एप्रोच रोड सडक निर्माण एवं 02 नग पीने के पानी हेतु बोरिंग सहित किराये पर कार्य	468935	9379	472	"
5	गंगाजी के अन्दर व बाहर बैरिकेटिंग व वॉच टॉवर, बैरियर तथा कैम्पों की टीन फैंसिंग व महिलाघाट (कपडे बदलने हेतु) का निर्माण कार्य	346000	6920	472	"
6	चटाई की सप्लाई कार्य	160000	3200	236	"
7	हैडपम्प व्यवस्था किराये पर कार्य	151500	3030	236	"
8	नाव मल्लाहों व गोताखोरों की व्यवस्था किराये पर कार्य	145980	2920	236	"
9	कैम्पों में अस्थाई शौचालय व कूडादान का कार्य व मेला अवधि में सफाई कार्य	91350	1827	118	"
10	वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी (सी0सी0टी0वी0कैमरा) किराये पर कार्य	80000	1600	118	"
11	होर्डिंग्स व बैनर तैयार कराई व लगाई कम्पलीट कार्य	55760	1115	118	"
12	स्टोर का सामान लाने वले–जाने हेतु व डेरों में टैन्ट सामान व्यवस्थित करने हेतु लेबर व्यवस्था कार्य	42500	850	118	"
13	मेला पहुंच मार्ग पर अस्थाई पुलिया निर्माण कार्य किराये पर	38426	769	118	"
14	मेला समाप्ति के बाद साफ–सफाई कार्य	26560	531	118	"

(एस0 के0 गुप्ता)
अभियन्ता
जिला पंचायत, मेरठ

(प्रदीप कुमार सक्सैना)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ

कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ।

पत्रांक– 10172 /जि0पं0 मेरठ(मेला मखदूमपुर)/2019–20 दिनांक:– 30.09 . 2019

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मा0 अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत, मेरठ।
2. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ।
3. मुख्य अधिकारी महोदया, जिला पंचायत, मेरठ।
4. अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद की बैबसाईट http//meerut.nic/in पर निविदा फार्म सहित निविदा सम्बधित समस्त सूचना अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, मेरठ को सूचनार्थ।
6. सम्पादक दैनिक जागरण एवं बिजनौर टाईम्स को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निविदासूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र के आगामी अंक में कम से कम स्थान पर केवल एक बार प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. नाजिर कार्यालय जिला जज , आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ, जिलाधिकारी, मेरठ एवं मुख्य विकास अधिकारी के सूचना पट पर चस्पा कराने हेतू।
8. जिला पंचायत मेरठ के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ।
9. कार्यालय जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, मेरठ

1247
DIO.NIC

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मेरठ।
03/10/19

कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ

पुस्तक सं० 70

टेण्डर संख्या 100

अभियन्ता
जिला पचायत, मेरठ

टेण्डर मूल्य ....

निविदा प्रपत्र संख्या नि० का0–3
(नियम 23 देखिये)
(प्रमुख सचिव, पंचायती राज के कार्यकारी आदेश संख्या 5748/33–2–2006–100जी/2006, दिनांक 17–11–2006 द्वारा संशोधित)

ठेकेदारों के लिये प्रतिशत दर टेंडर की मद

निर्माण कार्य का नाम :...

ठेकेदार का नाम :...

ठेकेदारों के पथ प्रदर्शन के लिये सामान्य नियम और निर्देश

ठेके द्वारा निस्तारन के लिये प्रस्तावित सभी निर्माण–कार्य टेण्डर आमंत्रित करने के रूप में विज्ञापित किये जायेंगे और मुख्य
1. अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में सूचना पट्ट पर चिपकाये जायेंगे, जिस पर उक्त अधिकारी के हस्ताक्षर
होंगे।
इस प्रपत्र में किये जाने वाले निर्माण–कार्य का वर्णन और टेण्डर प्रस्तुत करने और खुलने का दिनांक और निर्माण– कार्य
सम्पादित करने के लिये अनुमत समय, टेण्डर के साथ जमा की जाने वाली बयाने की धनराशि और सफल टेण्डर देने वाले
द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति और बिलों से काटा जाने वाला प्रतिशत यदि कोई हो, दिया जायेगा। इस ठेका लेख्य के
सेट में प्रस्तावित निर्माण–कार्य की ड्राइंग और ब्यौरा, विशिष्टियां निर्माण–कार्यों के विभिन्न मदों के परिमाणों की अनुसूची और
प्रयुक्त किये जाने वाले टेण्डर के, जिस पर मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पहचान के लिये हस्ताक्षर किया
जायेगा, प्रपत्र के साथ मुद्रित ठेका शर्तो का प्रपत्र होगा और उस प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगा जो ठेका देने के लिये
सक्षम हो और वह मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में कार्यलय समय में जनता के निरीक्षण के लिये
उपलब्ध होगा।
यदि टेण्डर किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाये तो इस पर फर्म के प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग–अलग हस्ताक्षर अवश्य किया
2. जाना चाहिये या किसी भागीदार के अनुपस्थित होने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे इस पर हस्ताक्षर करने के लिये
मुख्तारनामें का अधिकार हो, इस पर हस्ताक्षर अवश्य किया जाना चाहिये।
किसी ऐसे निर्माण कार्य के सम्बन्ध में, जब किसी फर्म द्वारा यह निष्पादित किया जाये, किये गये भुगतान के लिये रसीद पर
3. विभिन्न भागीदारों द्वारा अवश्य हस्ताक्षर किया जाना चाहिये, सिवाय जब टेण्डर में ठेकेदार फर्म के रूप में वर्णित किये गये हों
उस दशा में रसीदों पर फर्म के लाभ में किसी एक भागीदार द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा जिन्हें फर्म के लिये प्रभावी
रसीद देने का अधिकार हो, अवश्य हस्ताक्षर किया जाना चाहिये।
कोई ठेकेदार जो टेण्डर प्रस्तुत करता है टेण्डर का नियम प्रपत्र भरेगा और यह प्रपत्र के पृष्ठ 3 पर वैकल्पिक प्रस्ताव को जो
4. उस मामले पर लागू न हो काट देगा। ऐसे टेण्डर जिनमे टेण्डर आमंत्रित करने की सूचना के प्रपत्र में विनिर्दिष्ट निर्माण कार्य
या ऐसा निर्माण कार्य करने के लिये अनुमत समय में या जिसमें किसी प्रकार की कोई अन्य शर्त हो, उसमें कोई परिवर्तन
करना हो या अंग्रेजी में भरे गये हो या उसके साथ विज्ञापित बयाने की धनराशि जमा न की गयी हो, अस्वीकार कर दिये
जायेंगे। टेण्डरों पर लिफाफे के बाहर उस निर्माण–कार्य का नाम जिसके सम्बन्ध में वे हों, लिखा जायेगा।
मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी या उसका सम्यक रुप से प्राधिकृत सहायक किन्हीं इच्छुक ठेकेदारों की उपस्थिति में
5. जो उस समय उपस्थित हों, टेण्डर खोलेगा और विभिन्न टेण्डरों की धनराशि एक उपयुक्त प्रपत्र में एक तुलनात्मक विवरण
पत्र में दर्ज करेगा। टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने की दशा में, उसके साथ भेजे गये बयाने की धनराशि के लिये तदुपरान्त
ठेकेदार को एक रसीद दी जायेगी, जो तदुपरान्त पहचान के लिये पैरा 1 में उल्लिखित विशिष्टियों और अन्य लेख्यों की
प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर करेगा। टेण्डर अस्वीकार कर दिये जाने की दशा में, ऐसे अस्वीकार किये गये टेण्डर के साथ भेजी
गयी बयाने की धनराशि तदुपरान्त ठेकेदार को लौटा दी जायेगी।
6. स्वीकृति प्राधिकारी को सभी या किसी टेण्डर को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
7. ठेकेदार द्वार भुगतान की गयी बयाने की धनराशि के लिये किसी लेखाकार या लिपिक की रसीद, मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी को भुगतान करने की अस्वीकृति के रुप में नहीं मानी जायेगी और ठेकेदार इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उसे मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वार हस्ताक्षरित रसीद मिल जाये।
8. टेण्डर प्रपत्र जारी किये जाने के पूर्व में ऐसे निर्माण–कार्य का ज्ञापन जिसके लिये टेण्डर आमंत्रित किया गया हो मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में भरा/भेजा जायेगा।
9. कोई भी निविदा तबतक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि आयकर विभाग, व्यापार कर विभाग द्वारा निविदादाता के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न कर दिया जाये।
10. कोई भी निविदा तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि ठेकेदार द्वार जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत 6 माह से कम अवधि का निविदादाता का चरित्र प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत न कर दिया जाये।
11. कोई भी निविदा तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि ठेकेदार द्वारा जनपद के जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त सम्बन्धित ठेकेदार की प्रस्तावित संविदागत कार्य को करने की आर्थिक क्षमता एवं पूर्व प्रचलित संतोषजनक गतिविधियों सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत न कर दिया जाये।
... किन्हीं सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संगठनों, प्राधिकरणों आदि के काली सूची में अंकित ... होने का अधिकार नहीं होगा।